संख्या- 7 /2018/ 503 /अड़तीस-5-2018-27बजट/2017 टी0सी0(1)

प्रेषक,

रमेश चन्द्र मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 8 फरवरी, 2018

विषयः वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। (अनुदान संख्या-81)

महोदय,

उपर्युक्त विषय में वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 474/डब्लू -409/ 2017-18, दिनांक 12 सितम्बर, 2017 एवं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृति आदेश संख्या- डब्लू-11020/196/2015-वाटर-। /68, दिनांक 31 अगस्त, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से पेयजल कार्यक्रम के नान एस0सी0एस0पी0-टी0एस0पी0, एस0सी0एस0पी0 तथा टी0एस0पी0 मद में रू0 15085.61 लाख प्राप्त हुई है। तत्क्रम में शासनादेश संख्या- 312/38-5-2017-27 बजट/ 2017(1), दिनांक 25 अप्रैल, 2017, शासनादेश संख्या- 10/2017/2280/38-5-2017-27 बजट/ 2017 टी0सी0(1), दिनांक 06 अक्टूबर, 2017, शासनादेश संख्या- 1/2018/224/38-5-2018-27 बजट/ 2017 टी0सी0(1), दिनांक 22 जनवरी, 2018 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश की कुल धनराशि रू 91.300 तथा अनुमन्य राज्यांश के सापेक्ष रू0 40.450 लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अनुमन्य अवशेष राज्यांश रू0 47.807 लाख (रूपये सैतालीस लाख अस्सी हजार सात सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरण/ शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

अनुदान सं0	पेयजल कार्यक्रम के घटक	प्राप्त केन्द्रांश	प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश	अनुमन्य राज्यांश के सापेक्ष अब तक निर्गत कुल राज्यांश्	अवशेष राज्यांश की धनराशि (4-5)
1	2	3	4	5	6
81	Coverage & QPV	68.475	68.475	38.653	29.822
	O&M	13.695	13.695	1.172	12.523
	Sustainbility	9.130	6.087	0.625	5.462
	Total	91.30	88.257	40.45	47.807

(रूपये सैतालीस लाख अस्सी हजार सात सौ मात्र)

(I) **धनराशि का व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।**

(II) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0/बैंक/ डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(III) धनराशि जिस घटक हेतु अवमुक्त की जा रही है उसका व्यय उसी घटक के निर्धारित कार्यो/ मदों में किया जायेगा।

(IV) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा उसका व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है।

(V) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

(VI) प्रश्नगत धनराशि का व्यय भारत सरकार के स्वीकृति आदेश एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017 बी-1-1190/दस-2017-231/ 2017 दिनांक 03-08-2017 एवं तत्क्रम में निर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-12/2017 बी-1-1455/दस-2017-231/

(VII) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा। वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि पूर्व में प्रश्नगत धनराशि या इसका कोई अंश अवमुक्त नहीं किया गया है।

2- शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/ वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई विसंगति हो तो शासन को तत्काल सूचित किया जाएगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय 01-जलपूर्ति-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना -01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ -0101- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0 डी0डब्लू0पी0) (के050/रा050-के0+रा0)-24- बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- ई-2/135/ दस-2018- दिनांक 07 फरवरी, 2018 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

संख्याः 7 /2018/ 503 (1)/अड्तीस-5-2018-27 बजट/2017टी0सी0 (1), तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निदेशक (जल), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, 9वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003 को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 31 अगस्त, 2017 के क्रम में।
(2) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0।
(3) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन, लखनऊ।
(8) नियोजन अनुभाग-4 / ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
(10)समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ) उत्तर प्रदेश शासन।
(11) विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(12)गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।